

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 70 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एच.डी.बी. फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा
रजिस्टर्ड कार्यालय:- राधिका, सैकिण्ड फ्लोर, लॉ गार्डन रोड़, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
380009

शाखा कार्यालय:- ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम,
जयपुर (राज.)

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. जितेन्द्र कुमावत पुत्र बिरदी चन्द
प्रथम पता:-कुमावतों का मोहल्ला, कटराथल जिला सीकर 332001 राज.
द्वितीय पता:-पट्टा नं. 553 गांव कटराथल ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील एवं
जिला सीकर 332001 राज.
2. मनोहर पत्नी बिरदी चन्द निवासी कुमावत मोहल्ला कटराथल जिला सीकर
332001 राज.

- अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 04 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र कुल्हरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः जितेन्द्र कुमावत पुत्र बिरदी चन्द व मनोहर पत्नी बिरदी चन्द की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति व्यवसायिक सम्पत्ति पट्टा 553 गांव कटराथल ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील एवं जिला सीकर 332001 राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 85.59 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में मातादीन, पश्चिम दिशा में रोड़, उत्तर दिशा में बंशीधर कुमावत व दक्षिण दिशा में रोड़ स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹25,00,000/- रूपये (अक्षरे रूपये पच्चीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.09.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 15.09.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः जितेन्द्र कुमावत पुत्र बिरदी चन्द व मनोहर पत्नी बिरदी चन्द की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय




(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति व्यवसायिक सम्पत्ति पट्टा 553 गांव कटराथल ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील एवं जिला सीकर 332001 राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 85.59 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में मातादीन, पश्चिम दिशा में रोड़, उत्तर दिशा में बंशीधर कुमावत व दक्षिण दिशा में रोड़ स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 04 मई, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर